निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 19 / 2025
दायरा दिनांकः–17.03.2025
निर्णय दिनांकः– 25.6.25

उनवान

1. दीपक शर्मा उर्फ सत्यनारायण आयु 51 वर्ष पुत्र प्रेमनारायण जाति ब्राहम्ण निवासी ग्राम भीलवाडानीचा तहसील छबडा जिला बारां (राज0) हाल निवास 185 कच्ची बस्ती खान के पास सेती चित्तौडगढ जिला चित्तौडगढ

बनाम

1. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136,एल0 आर एक्ट

निर्णय दिनांकः– 25.6.25

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री हेमराज सुमन – प्रार्थी

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 136,एल0 आर एक्ट विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि वाके माल भीलवाड़ा नीचा मे खाता संख्या 144 में खसरा नम्बर 12 रकबा 1.1382 हैक्टयर खसरा नम्बर 13 रकबा 3.0351 हैक्टयर खसरा नम्बर 20 रकबा 0.6450 हैक्टयर खसरा नम्बर 44 रकबा 0. 9738 हैक्टयर खसरा नम्बर 51 रकबा 2.4660 हैक्टयर खसरा नम्बर 572 रकबा 0.0506 हैक्टयर खसरा नम्बर 573 रकबा 0.6829 हैक्टयर खसरा नम्बर 574 रकबा 0.0379 हैक्टयर खसरा नम्बर 575 रकबा 0.3667 हैक्टयर खसरा नम्बर 576 रकबा 0.0253 हैक्टयर खसरा नम्बर 577 रकबा 0.0379 हैक्टयर, खसरा नम्बर 578 रकबा 0. 7335 हैक्टयर, खसरा नम्बर 579 रकबा 0.0759 हैक्टयर कुल खसरे 13 कुल रकबा 10.2688 हैक्टयर अवस्थित है। जिसमे सत्यनारायण पुत्र प्रेमनारायण का हिस्सा 2/45 है। जिसमे सत्यनारायण पुत्र प्रेमनारायण के नाम खातेदारी जमाबंदी राजस्व रिकार्ड मे दर्ज चली आ रही है। प्रार्थी के पिता श्री प्रेमनारायण का स्वर्गवास हो जाने के बाद जब प्रेमनारायण के वारिसान के नाम दिनांक 28/06/2020 को फौती इंतकाल खोला गया तो हल्का पटवारी द्वारा सहवन से प्रार्थी का नाम दीपक की जगह सत्यनारायण जो प्रार्थी के बचपन का नाम था से फौती इन्तकाल खोल दिया है। जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम दीपक है। 3. प्रार्थी के अन्य सभी दस्तावेज सरकारी रिकोर्ड आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

लाईसेन्स, पेन कार्ड आदि सभी मे दीपक शर्मा नाम दर्ज है। जो वास्तविक नाम है। जबकि राजस्व रिकोर्ड जमाबंदी मे प्रार्थी का नाम सत्यनारायण पुत्र प्रेमनारायण नाम दर्ज है जो अशुद्ध नाम है। जिसके कारण प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओ का लाभ नही मिल पर रहा है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को जर्ये सम्मन तलब किया गया प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडानीचा तहसील छबडा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 144 नकल नामानतरण संख्या 1499 ग्राम भीलवाडानीचा पेश किया गया। प्रशासक ग्राम पंचायत भीलवाडानीचा द्वारा प्रमाण पत्र दिनांक 06.03.2025 आधार कार्ड पहचान पत्र भामाशाह कार्ड पेश किया गया।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम भीलवाडानीचा तहसील छबडा में स्थित है। जिसमें प्रार्थी का हिस्सा 2/45 दर्ज है। प्रार्थी के पिता प्रेमनारायण का स्वर्गवास हो जाने के बाद प्रेमनारायण का फोती नामान्तरण दर्ज करतें समय सहवन से प्रार्थी का नाम दीपक के स्थान पर सत्यनारायण दर्ज कर दिया जो प्रार्थी के बचपन का नाम था। प्रार्थी के अन्य दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, ड्राईविंग लाईसेन्स, पेन कार्ड, में दीपक शर्मा दर्ज है जो वास्तविक नाम है। प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में सत्यनारायण पुत्र प्रेमनारायण दर्ज है जो गलत है प्रार्थी का नाम राजस्व रिकार्ड में गलत दर्ज होने के कारण प्रार्थी को राज्य सरकार द्वारा जारी योजनाओं का लाभ नही मिल पा रहा है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जावें।

इस सम्बन्ध में तहसीलदार छबडा से रिपोर्ट ली गई। तहसीलदार छबडा ने रिपोर्ट में बताया कि ग्राम भीलवाडानीचा के वर्तमान जमाबन्दी खाता संख्या 144 कुल रकबा 10.2688 है0 में खातेदार सत्यनारायण पुत्र प्रेमनारायण जाति ब्राहम्ण के सही नाम की जानकारी हेतु ग्राम भीलवाडानीचा में पहुचें। ग्राम में ग्राम वासियो के द्वारा बताया कि प्रार्थी को बचपन से ही सत्यनारायण के नाम से जाना जाता है प्रार्थी का ग्राम में बोलता नाम सत्यनारायण ही है प्रार्थी का दीपक नाम से ग्राम में कोई नही जानता हे मुताबिक राजस्व रिकार्ड एवं ग्राम वासियों की जानकारी अनुसार पाया गया कि प्रार्थी का नाम सत्यनारायण पुत्र प्रेमनारायण जाति ब्राहम्ण सा0देह है।

बहस अभिभाषक प्रार्थी सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम भीलवाडानीचा सम्वत् 2074–77 खाता संख्या 144 में सत्यनारायण पुत्र प्रेमनारायण हिस्सा 2/45 जाति ब्राहम्ण दर्ज है नकल नामान्तरण संख्या 1499 ग्राम भीलवाडानीचा जिसमें मृतक प्रेमनारायण के वारिसान सत्यनारायण, बाबूलाल, जमनालाल, पुत्र भगोती बाई, गीताबाई, पुत्रियां मोहनी बाई बेवा का नाम सजरा में अंकित है इससे यह साबित होता है कि प्रार्थी का सही नाम सत्यनारायण है फोटो प्रति आधार कार्ड, सत्यनारायण पुत्र प्रेमनारायण मतदाता पहचान पत्र,

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

दीपक शर्मा पुत्र प्रेमनारायण भामाशाह कार्ड में मोहनी बाई पत्नि प्रेमनारायण दर्ज है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर यह पाया गया कि प्रार्थी का आधार कार्ड सत्यनारायण पुत्र प्रेमनारायण के नाम से दर्ज है तथा मतदाता पहचान पत्र दीपक शर्मा पुत्र प्रेमनारायण दर्ज है इससे यह साबित होता है कि सत्यनारायण व दीपक शर्मा दोनो अलग–अलग व्यक्ति है प्रार्थी द्वारा पर्याप्त सबूत व दस्तावेजी साक्ष्य पेश नही किये जिससे सत्यनारायण व दीपक शर्मा दोनो नाम एक ही व्यक्ति के हो। प्रार्थी का आधार कार्ड सत्यनारायण के नाम से बना हुआ है। तहसीलदार ने भी प्रार्थी का सही नाम सत्यनारायण होना बाताया है अर्थात प्रार्थी यह साबित करने में विफल रहा है कि राजस्व रिकॉर्ड में सहवन से त्रुटि की गई हो। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
आर.ए.एस.
छबड़ा (बारां)
उपखण्ड अधिकारी, छबडा